न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0

अपील संख्याः–90/2016 (2016/00090)223/ब्यावर

1. गिरधारी सिंह पुत्र लाडूसिंह उम्र 58 साल
2. भंवरसिंह पुत्र लाडूसिंह उम्र 60 साल
3. धन्ना सिंह पुत्र लाडूसिंह उम्र 55 साल

समस्त जाति रावत निवासी ग्राम खेजड़ला तहसील ब्यावर जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. फतेहर सिंह पुत्र लाडू सिंह
2. श्रीमती पन्नी बेवा लाडूसिंह

छोनो जाति रावत निवासी ग्राम खेजड़ता तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, ब्यावर जिला अजमेर।
4. उप पंजीयक अधिकारी, ब्यावर।
5. जिला कलक्टर, अजमेर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर दिनांक 15.02.2016, वाद संख्या 13/2014।

उपस्थितः–

1. श्री ताराचन्द शिवनानी एड़वोकेट अपीलांट की ओर से।
2. श्री भरत शिवनानी एड़वोकेट अपीलांटस की ओर से।
3. श्री विक्रय सिंह रावत एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी (राजकीय अभिभाषक) रेस्पोडेन्ट संख्या 03 से 5 की ओर से।
5. रेस्पोडेन्ट संख्या 02 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः–31.01.2019

01. अपीलांटस ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय दिनांक 15.02.2016, वाद संख्या 13/2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राज.भू–राजस्व अधिनियम पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 348 रकबा 02–01–10 बीघा वाकै ग्राम फतेहपुरिया दोयम तहसील ब्यावर में स्थित हैं जो स्वर्गीय लाडूसिंह ने खरीद की थी तथा चूँकि उस समय प्रतिवादी संख्या 01 ही बालिग था तथा वादीगण नाबालिग थे इस कारण उक्त आराजी अकेले प्रतिवादी सख्या 01 नाम से क्रय की गई थी, जो प्रतिवादी संख्या 01 की आय से नहीं थी तथा प्रतिवादी संख्या 01 के पास आय का कोई साधन नही था। इस प्रकार उक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01, 02 की पुश्तैनी आराजी चली आ रही हैं। उक्त भूमि लाडूसिंह के द्वारा क्रय किये जाने के पश्चात आज से करीब 38 वर्ष पूर्व उक्त आराजी का मौखिक रूप से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा अलग–अलग कर दिया था तथा आज भी मौके पर उसी बंटवारे अनुसार काबिज काश्त हैं किन्तु उक्त बंटवारा लिखित रूप से बाई मीटस एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा नहीं हो रखा हैं इस कारण वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई। अन्त में निवेदन किया कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी का बाई मीटस एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा अलग–अलग किया जाकर वादीगण को उनका 3/4 हिस्सा का

खातेदार घोषित किया जावें तथा राजस्व रेकार्ड में भी उसी अनुसार इन्द्राज करावे जाने के आदेश प्रदान करावें। वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा सभी पक्षकारान को नोटिस जारी किये । प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वाद के विचाराधीन रहते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. प्रस्तुत किया। जिसका वादीगण द्वारा विधिवत रूप से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुनकर वादीगण का वाद अस्वीकार कर दिया तथा बिना किसी तनकीयात कायम किये, बिना साक्ष्य के निर्णय दिनांक 15.02.2016 पारित कर दिया। अपीलांटस ने यह अपील द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय दिनांक 15.02.2016 से अंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अभिभाषक उपस्थित हुए किन्तु दौराने बहस रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अभिभाषक उपस्थित नही हुए एवं ना ही लिखित बहस पेश की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गयी।

4. विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने अपने मिमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत होने के बाद तनकीयात कायम ना कर तथा वादीगण को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं कर विधि विरूद्ध अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए बिना कानूनी प्रावधानों का पालन किये अपीलार्थीगण/वादीगण का वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है। आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के पिता व प्रतिवादी संख्या 02 के पति स्वर्गीय लाडूसिंह की निजी धनराशि से 50 वर्ष पूर्व क्रय की थी। चूँकि उस वक्त वादीगण नाबालिग थे। प्रतिवादी संख्या 01 बालिग था जिस कारण प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से यह आराजी खरीद की गई थी। उक्त आराजी पुश्तैनी थी जिस कारण 38 वर्ष पूर्व वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 का आपस में बैठकर आपसी समझौता कर पंचायत के समक्ष प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा व वादीगण का 3/4 हिस्सा प्रत्येक का बंटवारा कर दिया गया था उसी के अनुसार करीबन 38 वर्ष पूर्व वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। इस सम्बन्ध में स्वंय प्रतिवादी संख्या 01 फतेह सिंह के पुत्र जालमसिंह का घोषणा पत्र व फोटो नोटेरी द्वारा तस्दीकशुदा दस्तावेज तथा पँचों द्वारा चारो भाईयों के हिस्से अनुसार बंटवारे करा देने तथा अपने अपने हिस्से पर काश्त करने सम्बन्धि दिनांक 27.04.2013 की तहरीर व अन्य गवाहों के सम्बन्ध में अलग–अलग तहरीरे हस्ताक्षरयुक्त व अंगूठायुक्त लिखी हुई हैं तथा सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया हुआ वादीगण के पास है जो एक साक्ष्य का विषय हैं इस सम्बन्ध अपीलार्थीगण के अभिभाषक द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट रूप से लिखाया गया व जवाब प्रस्तुत किया गया कि मौजूदा मामला मौखिक साक्ष्य का विषय है जिसको वादीगण साक्ष्य द्वारा सिद्ध करेगें। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात है कायम नहीं की हैं। पत्रावली में पक्षकारान के बनाय नहीं हुए हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जाप्ता दीवानी की प्रक्रिया व साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों का पालन न कर सरासर कानूनी व तथ्यात्मक भूल की हैं। जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत नही है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय दिनांक 15.02.2016 को निरस्त किया जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जावें कि अपीलार्थीगण के वाद पत्र में तनकीयात कायम करे वादीगण एवं प्रतिवादीगण को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वाद पत्र पर पुनः निर्णय पारित करें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 दौराने बहस उपस्थित नहीं हुए और ना कोई लिखित बहस प्रस्तुत की हैं।

6. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्धान अभिभाषक अपीलांट पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस/वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राज.भू–राजस्व अधिनियम पेश कर कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के पिता एवं प्रतिवादीया नम्बर 02 के पति स्वर्गीय लाडूसिंह ने अपनी निजी धनराशि से आज से करीब 50 वर्ष पूर्व वाद पत्र में अंकित भूमि

का क्रय किया था। क्रय के समय प्रतिवादी संख्या 01 फतेहसिंह ही बालिग थ इसलिए उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 फतेह सिंह के नाम खरीद की थी। अपीलांटस/वादीगण को कथन था कि प्रतिवादी संख्या 01 फतेहसिंह के पास उस समय आय का कोई साधन नही था इसलिए उक्त भूमि स्वंय फतेह सिंह ने नहीं खरीद की थी बल्कि उनके पिता द्वारा क्रय की गई इसलिए विवादित आराजी में वादीगण/अपीलांटस का भी हिस्सा निहित होता हैं इसलिए विवादित आराजी में से 1/4–1/4 हिस्से अलग–अलग किये जाकर वादी को उनका 3/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा राजस्व मानचित्र तरमीम करवाया जावें। वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जवाब दावा भी प्रस्तुत किया जा चुका था। तत्पश्चात प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वाद पत्र को खारिज किया है। वाद पत्र को जब अधीनस्थ न्याालय ने दिनांक 07.02.2014 को दर्ज रजिस्टर कर वादीगण को वाद चलाने की अनुमति दी एवं सम्मन जारी किये थे ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. प्रस्तुत करने का कोई लोकस नहीं थी जबकि वाद विचारण साक्ष्य स्तर पर पहुॅच चुका था। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. प्रस्तुत कर दिये व प्रथम दृष्टया ही पोषणीय व संधारणीय नही होने के कारण रिकार्ड पर लिये जाने योग्य नही थें, पश्चात भी ना केवल प्रार्थना पत्र को रिकार्ड पर लिया गया बल्कि उनको स्वीकार कर वादी का वाद खारिज भी कर दिया गया जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि वाद सुनवाई व विचारण प्रारम्भ होने के पश्चात अन्तर्गत आदेश 07नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र विधितः प्रस्तुत करना न्यायोचित नही था ना ही पोषणीय था । वाद विचारण के पश्चात दोनो पक्षों की साक्ष्य एवं दस्तावेजात प्रदर्शित किये जाने के पश्चात ही निर्णय व डिक्री पारित किये जाने समय तनकियात निस्तारित कर निर्णित किये जाने थे जो ही समुचित व वास्तविक विधिक विचारण था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना महत्वपूर्ण विधिक सिद्धान्त को अनदेखा कर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई जो विधि सम्मत नही हैं। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री खारिज योग्य होकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायानय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

6. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर का निर्णय दिनांक 15.02.2016 निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त उल्लेखित **Observations** के क्रम मे प्रकरण में तनकीयात कायम कर, पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, पुनः निर्णय पारित करें।

31/1/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

07. आदेश आज दिनाक 31.01.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

31/1/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर